Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

दूदालाल बनाम **सरकार**

किस्म मुकदमा **विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)** नं0 **191** सन् **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.09.2022	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी **बद्रीगिरी गोस्वामी** हाजिर। पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 06 GB 2416** को सिपुर्दगी पर दिये जाने हेतु प्रार्थी दूदालाल पिता औंकारलाल जाट निवासी बनका खेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा वाहन स्वामी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, पारसोली एवं जिला रसद अधिकारी से कमेन्ट्स/अभिमत हेतु लिखा गया। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना, पारसोली द्वारा पत्रांक/एसएलपी दिनांक 07.09.2022 से अवगत कराया कि प्रकरण में वाहन रिलीज किया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/रसद/लो.सू./2022/378 दिनांक 07.09.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि न्यायालय को उक्त वाहन के बारे में जानकारी अथवा वाहन की न्यायालय में आवश्यकता होने पर वाहन स्वामी मय वाहन उपस्थित हो सके उक्त स्थिति के बारे में विपक्षीगण अपनी जमानत प्रस्तुत कर देते है तो न्यायालय के प्रकरण निर्णित होने तक इनको मुक्त किया जा सकता है। थानाधिकारी पुलिस थाना पारसोली एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रेषित टिप्पणी/अभिमत शामिल पत्रावली है। रिकार्ड पर लिया जाता है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाहन के खाली होने से अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया एवं जमानत एवं सिपुर्दगी पर न्यायालय द्वारा विहित शर्तों पर वाहन स्वामी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया। पैरोकार सरकार ने कथन किया कि जब्तशुदा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नही किया जावे। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभय पक्ष की बहस पर चिंतन-मनन किया। थानाधिकारी, पुलिस थाना, पारसोली एवं जिला रसद अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी में उन्होने जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 06 GB 2416** के संबंध में अनुसंधान पूर्ण किया जाना अवगत कराया गया है एवं वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 06 GB 2416** की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना अवगत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब्तशुदा वाहन को वाहन स्वामी/अधिकृत स्वामी को जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः स्वामी/अधिकृत स्वामी द्वारा रूपये **9,00,000/-** अक्षरे नौ लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन वाहन स्वामी/अधिकृत को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो। -S/d- (अरविन्द कुमार पोसवाल) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ 07.09.2022 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	